संख्या- 48/2016/786/एक-6-2016-142(7)/2016

प्रेषक,

धनलक्ष्मी के0,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल,
बांदा।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 04 अक्टूबर, 2016**

विषय: आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु राजकीय आस्थान की भूमि को नि:शुल्क उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1459/नाजिर-अनावासीय भवन/2016, दिनांक 19-07-2016 के क्रम में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1091/12-भवन-41/2006 (अनावासीय), दिनांक 11-8-2016 से प्राप्त संस्तुति के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त आयुक्त चित्रकूट मण्डल, बांदा के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु निम्नांकित विवरण अनुसार राजकीय आस्थान की भूमि को आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।

क्रमांक	जनपद/तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	रकबा (हे0 में)
1-	बॉदा/बॉदा	हरदौली	963 मि0	0.736 हे0
2-	बॉदा/बॉदा	हरदौली	961	0.158 हे0
		कुल योग	दो किता	रकबा 0.894 हे0

कृपया कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

धनलक्ष्मी के0
सचिव।

संख्या- 48/2016/786(1)/एक-6-2016-142(7)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1091/12-भवन-41/2006(अनावासीय), दिनांक 11-8-2016 के संदर्भ में।
2- जिलाधिकारी, बांदा।
3- राजस्व अनुभाग-5
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in